न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-117/2014

हरिसिंह पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिजारणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-नेमीचन्द पुत्र भोलाराम (जाति जाट निवासीगण बिजारणियों की
2-जिनकू बेवा भोलाराम (ढाणी तहसील धोद जिला सीकर (राज0)

3-हल्का पटवारी सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर।

4-तहसीलदार सीकर प्रतिनिधि भूधारक राजस्थान सरकार।

---रेस्पोडेन्टस---

सत्यमेव जयते

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10-4-2014 द्वारा सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर।

---0---

Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 22-6-2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिजारणियों की ढाणी तहसील सीकर में आराजी ख0नं0 1014 रकबा 3.76 हैक्टर, खसरा 1021 रकबा 1.51 हैक्टर, ख0नं0 1114 रकबा 4.20 हैक्टर, ख0नं0 1173 रकबा 1.27 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 10.74 हैक्टरहै जिनमें से ख0नं0 1021, 1114, 1173 कुल किता-3 रकबा 6.98 हैक्टर में प्रतिवादी सं0- 1 व 2 का 1/3 हि0

प्रतिवादी सं0-3, 4, 5 का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं0-6 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0-7, 8, 9 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-10 व 11 का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । जिससे प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है किन्तु ख0नं0 1014 रकबा 3.76 हैक्टर में प्रार्थी 0.22 हैक्टर का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा 0.0933 हैक्टर का अप्रार्थी सं0-1 एवं 1/12 हिस्से की अप्रार्थी सं0-2 एवं शेष 5/6 हिस्से के राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने अपने हिस्सेनुसार शेष प्रतिवादीगण खातेदार काबिज है। प्रार्थी ने ख0नं0 1014 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि में ट्यूबैल निर्मित कर विद्युत कनेक्शन ले रखा है । तथा आवासीय मकान बना रखे हैं तथा शेष आराजी पर काश्त कर रहा है । उक्त आराजी की अलग सींव नींव कायम कर रखी है । किन्तु खाता संयुक्त रूप से दर्ज है । प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी का विकास करने में ऋण आदि लेने में असमर्थ रहा इस कारण उक्त आराजी के विभाजन के लिये कहां तो अप्रार्थी संख्या-1 व 2 को उन्होने इस पर उदासीनता दिखाई जिसके कारण विभाजन का दावा पेश कर उसके साथ यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तादौराने वाद उभयपक्षों को रेकार्ड एवं मौके की यथा--स्थिति के लिये पाबन्द किया है जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि चाहे गये अनुतोष से अधिक नहीं दिया जा सकता और चाहे गये अनुतोष से अधिक दिया जाता है तो वह कानून के अनु--सार अवैध है । जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध ना तो काउण्टर टी0आई0 आवेदन प्रस्तुत था ना ही जबाब में अपीलान्ट के विरूद्ध अनुतोष की मांग की थी । फिर भी योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कानूनी भूल की है । अपीलान्ट ने आराजी ख0नं0 1014 रकबा 3.76 हैक्टर में से 0.22 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को पर्याप्त प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा वास्तविक प्राप्त किया है । इस

प्रकार अपीलान्ट विवादित आराजी का रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है अपीलाट 0.22 हैक्टर पर पक्का निर्माण कर अलग से काबिज है। इस आराजी का विकास नहीं होने पर आराजी के बंटवारे के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 को कहा था इसमे उन्होने कोई रूचि नहीं दिखाई तब बंटवारे का दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के पेश किया । मेरे विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने कोई काउण्टर टी0आई0 भी पेश नहीं की है इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट जो एक रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय जो मुख्य तीन बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दू पर कोई विवेचन न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश अपीलान्ट की हद तक निरस्त करने का निवेदन किया ।बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं02068 से 2071 मे ख0नं0 1014, 1021, 1114, 1173 कुल किता-4 रकबा 10.74 हैक्टर की खातेदारी कन्हैयालाल, जगुराम पि0 टोडूराम हि0 1/3, महेन्द्रकुमार, सुरेशकुमार पि0 भगवानाराम व मु0 भंवरी बेवा भगवानाराम हि0 1/6, पदमा पुत्र टोडूराम हि0 1/6 गिरधारी लाल किशोर पि0 भेवरा मु0 रामी बेवा भवरा हि0 1/6 नेमीचन्द पुत्र भोमा राम व जिनकू बेवा भोमाराम हि0 1/6 के नाम दर्ज है । राभान्तरकरण सं0-250 दिनांक 20-7-2011 के द्वारा ख0नं0 1014 रकबा 3.76 हैक्टर मे से नेमी

चन्द पुत्र भीमाराम के हिस्से 1/12 के स्थान पर हरिसिंह पुत्र सुखाराम जाति जाट रकबा 0.22 हैक्टर की खातेदारी दर्ज की गई है । मुताबिक राजस्व रेकार्ड विवादित आराजी पक्षकारों की सहखातेदारी की भूमि है ।अपीलान्ट ने ख0नं0 1014 रकबा 3.76 हैक्टर मे से 0.22 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने के बाद नामान्तरकरण संख्या-250 दिनांक 22-7-2011 से खातेदार दर्ज हुआ है ।विवादित आराजी को अपीलान्ट स्वयं ने अविभाजित मानकर यह दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है ।अपीलान्ट का दावा अभी विचारा-धीन है ।राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे है ।अपीलान्ट ने विवादित आराजी मे से 0.22 हैक्टर आराजी क्रय कर समस्त रेकार्डेड खातेदार काश्तकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का यह प्रार्थना पत्र पेश किया है दावा बंटवारा का अभी विचाराधीन है । अपीलान्ट विवादित आराजी का क्रेता है ~~जो~~ जिसे रेकार्डेड खातेदार के बजाय अपूर्णिय क्षति सम्भव नहीं बल्कि एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अपूर्णिय क्षति है ।अदालत मातहत नेअपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट जो विवादित आराजी के संयुक्त खातेदार काश्तकार है को न्यायहित में दौराने दावा विवादित आराजी की रेकार्ड एव मौके की यथास्थिति के लिये पाबन्द किया है । अदालत मातहत के निर्णय मे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं इस कारण हम अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार का संशोधन उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर{द्वितीय} सीकर का निर्णय दिनाक 10-4-2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 22.6.2018 को सुनाया गया ।

{ मुकुल शर्मा }
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर